1	2	3	4	5	6	7
26.	A. & N. Islands	3.7	2.9	1.6	0.2	0.2
27.	Chandigarh	44.4	21.7	20.7	3.3	—
28.	D. & N. Haveli	0.9	0.2	0.2	@	@
29.	Delhi	273.4	170.9	203.8	20.0	15.5
30.	Daman and Diu	0.9	0.2	0.3	0.1	@
31.	Lakshadweep	1.6	@	@	@	—
32.	Pondicherry	48.8	12.4	9.0	1.5	1.8
Total		13123.8	5589.5	3432.3	441.0	356.1

Note:—* No Employment Exchange is functioning in this state

@ Less than fifty.

— Nil

Figures may not tally due to rounding off.

लघु और कुटीर उद्योगों में श्रमिक

2091. **श्री राज मोहिन्दर सिंह:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुत बड़ी संख्या में लघु और कुटीर उद्योग कार्यरत हैं और इन उद्योगों में बहुत बड़ी संख्या में असंगठित श्रमिक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इनकी अनुमानित संख्या कितनी है और क्या उनकी सामाजिक और आर्थिक हालत में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) लघु उद्योग इकाइयों की संख्या लगभग 30.14 लाख है, जिनमें मजदूरों सहित लगभग 167.2 लाख व्यक्ति नियोजित हैं। संगठित तथा असंगठित - दोनों ही क्षेत्रों के कामगारों के अधिकारों के संरक्षण तथा उनके कल्याण हेतु कई कानून अधिनियमित किए हैं। ऐसे कुछ कानूनों के नाम हैं :— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; समाज पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; उपदान संदाय अधिनियम, 1972; का श्रम (विनियमन व उत्सादन) अधिनियम, 1970; बंधुआ श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, 1976; बीड़ी व सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966; अन्तर्राज्यिक आप्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979; बीड़ी कामगार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 तथा भवन व अन्य निर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 राज्य सरकारों ने भी बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें विशिष्ट कार्यकलापों में बड़ी संख्या में लगे कामगारों को शामिल किया गया है। असंगठित कामगारों के नियोजन की गुणवत्ता तथा कार्यदशाओं में सुधार का मुद्दा सरकार की खास चिंता का विषय बना हुआ है।

न्यूनतम मजदूरी का भुगतान

2092. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कौन-कौन से क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितनी राशि निश्चित की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि असंगठित श्रमिकों के कारण और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के अभाव में विभिन्न क्षेत्रों में यह न्यूनतम मजदूरी भी श्रमिकों को नहीं दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति में सुधार करने पर विचार कर रही है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र के दायरे के अधीन आने वाले अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के

लिए न्यूनतम वेतन निश्चित किए हैं। ऐसे नियोजनों के नाम तथा उनके साथ निश्चित की गई राशि विवरण में दर्शायी गई है। (नीचे देखिए)।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों को केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारियों द्वारा तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य सरकारों/संघ शासित सरकारों के अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है। निरीक्षणों के दौरान पाए गए उल्लंघनों एवं अनियमितताओं से अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटा जाता है। कम भुगतान होने की स्थिति में अधिनियम के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकारियों को मामलों की सुनवाई करने तथा क्षतिपूर्ति सहित दावे की राशि के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन शामिल होने की स्थिति में अधिनियम में न्यायालय में मुकदमा चलाने का प्रावधान भी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें संशोधन करने का मामला विचाराधीन है।

विवरण

वे अनुसूचित नियोजन जिनके लिए केन्द्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है।

क्र०सं०	नियोजन का नाम	पिछले संशोधन की तारीख	न्यूनतम मजदूरी* पाने वाले कर्मकार के लिए न्यूनतम मजदूरी
1.	कृषि	12.08.92	रु० 68.40
2.	सड़कों का निर्माण तथा रखरखाव अथवा निर्माण कार्य	12.07.94	रु० 42.02
3.	पत्थर तोड़ना तथा पत्थर कूटना	-वही-	-वही-
4.	इमारतों का रखरखाव	-वही-	-वही-
5.	रेलवे का निर्माण एवं रखरखाव	-वही-	-वही-
6.	जिप्सम खाने	-वही-	-वही-
7.	बैराइट्स खानें	-वही-	-वही-
8.	बाक्साइट खानें	-वही-	-वही-
9.	मैगनीज खानें	-वही-	-वही-
10.	चीनी मिट्टी की खानें	-वही-	-वही-
11.	कायनाइट खानें	-वही-	-वही-
12.	ताम्बा खानें	-वही-	-वही-
13.	क्ले खानें	-वही-	-वही-
14.	पत्थर खानें	-वही-	-वही-
15.	ईंट क्ले खानें	-वही-	-वही-
16.	गेरू की खानें	-वही-	-वही-
17.	फायर की खानें	-वही-	-वही-
18.	सेलखड़ी (सेलखड़ी तथा पाउडर) खानें	-वही-	-वही-
19.	एक्वेसटस खाने	-वही-	-वही-
20.	क्रोमाइट खानें	-वही-	-वही-
21.	क्वार्टजाइट खानें	-वही-	-वही-
22.	क्वार्टज खानें	-वही-	-वही-
23.	सिलिका खानें	12.07.94	रु० 42.02
24.	मैगनेमाइट खानें	-वही-	-वही-
25.	ग्रेफाइट खाने	-वही-	-वही-

क्र०सं०	नियोजन का नाम	पिछले संशोधन की तारीख पाने वाले कर्मकार के लिए न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी*
26.	फेल्सपार खानें	-वही-	-वही-
27.	रेड ऑक्साइट खानें	-वही-	-वही-
28.	लेटेराइट खानें	-वही-	-वही-
29.	डोलोमाइट खानें	-वही-	-वही-
30.	लौह अयस्क खानें	-वही-	-वही-
31.	ग्रेनाइट खानें	-वही-	-वही-
32.	वोल्फार्म खानें	-वही-	-वही-
33.	मैग्नेटाइट खानें	-वही-	-वही-
34.	राक फास्फेट खानें	-वही-	-वही-
35.	हेमेट्राइट खानें	-वही-	-वही-
36.	रेलवे माल शेडों में सामान लादना-उतारना	-वही-	रु० 43.31
37.	रेलवे में राख-गड्ढों का साफ करना	-वही-	-वही-
38.	संगमरमर तथा कैल्साइट खानें	-वही-	रु० 42.02
39.	यूरेनियम खानें	-वही-	-वही-
40.	अभ्रक खानें	-वही-	-वही-
41.	लिगनाइट खानों में रोजगार**		
42.	ग्रेवल खान में रोजगार **		
43.	बिजली, वायर लैस, रेडियो, टेलीविजन, दूरभाष, टेलीग्राफ तथा समुद्रीय संप्रेषण केबल तथा वैसी ही भूमिगत केबल डालने, विद्युत लाइन, जलापूर्ति लाइन तथा मलु निकासी पाइप लाइन से संबंधित रोजगार **		
44.	स्लेट खानों में रोजगार **		

* पिछली बार 1.10.98 की संशोधित न्यूनतम मजदूरी में विशेष भत्ते का घटक भी शमिल है।

** न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी है।

Inclusion of trades under Apprenticeship Act, 1961

2093. SHRI ANIL SHARMA:
SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) the number of proposals of Government of Maharashtra and Himachal Pradesh for inclusion of trades under Engineering Agricultural and Food Processing Group under the Apprenticeship Act, 1961 pending with Government;

(b) the details thereof and the reasons for pendency; and

(c) by when these courses will be covered under Apprenticeship Act, 1961?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Two proposals were received from Govt. of Maharashtra for inclusion of seven subject fields (trades) under Engineering, Agricultural and Food Processing Group in the category of Technician (Vocational) Apprentices under the Apprentices Act, 1961. No such proposal has been received for inclusion of subject fields (trades) from Govt. of Himachal Pradesh.

(b) and (c) A proposal from Govt. of Maharashtra was received in Feb. 1993